ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14 Vol-5, No.-II,PP-1-3, YEAR-Dec.2016

संगठित अपराध : समाजशास्त्रीय विवेचन

❑ डॉ0 राकेश प्रताप शाही

आज के आधुनिक युग में ऐसे अपराध जो किसी आपराधिक समूह द्वारा मिलकर योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया जाता है, उसे अपराधशास्त्र की शब्दावली में संगठित अपराध कहा जाता है। संगठित अपराध आज देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रुप में उभर रहा है। राजनीति के अपराधीकरण के परिणामस्वरुप संगठित अपराधों को प्रशासनिक एवं राजनैतिक प्रश्रय मिलता है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जो किसी भी सभ्य समाज के लिए चुनौती है। संगठित अपराधों से अभिप्राय उन अपराधों से है, जिन्हें दो या दो से अधिक अपराधी व्यक्ति संगठित होकर नियोजित ढ़ंग से करते हैं। संगठित अपराध अन्य अपराधों से इस सन्दर्भ में भिन्न है कि सामान्य अपराधों में अपराधी किसी विवशता या परिस्थितिवश प्रेरित होकर अपराध करते हैं। अन्य अपराधों में कोई निश्चित संगठन नहीं होता है,जबकि संगठित अपराध संगठित अपराधी समूह द्वारा नियोजित ढंग से किये जाते हैं। इस प्रकार संगठन के सदस्यों में परस्पर किसी बात पर समझौता होता है। यही समझौता अन्ततः संगठित अपराधी समूह का आधार बना रहता है। संगठित अपराध का इतिहास बहुत प्राचीन है। विभिन्न समाजों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अध्ययनों से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी अनेक प्रकार के संगठित अपराधी समूह पाये जाते थे । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संगठित अपराधियों के बारे में उल्लेख मिलता है,जो बहुमूल्य रत्नों, सोनें व चाँदी की चोरी एवं तस्कारी कार्यों में सलंग्न थे। तस्करों के इन संगठनों का जाल एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैला हुआ था।

डॉ0 वी0 एन0 सिहं ने अपनी पुस्तक (Criminology) में लिखा है कि– ''संगठित अपराध वह अवैधानिक कार्य है, जो एक संगठन के व्यक्ति परस्पर सहयोग एवं साहस के आधार पर करते हैं।'' वाल्टर सी0 रैकलेस ने अपनी पुस्तक (The Crime Problem) में लिखा है कि–''संगठित अपराध, संगति अपराध से भी कुछ अधिक है, जो सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों की अन्तः क्रियाओं के फलस्वरुप घटित होता है..... यह अपेक्षाकृत एक अवैधानिक साहस है, जो कुछ निश्चित समय तक चलता है और सरदार, सहायकों तथा संचालकों का एक संस्तरणात्मक ढ़ाँचा तैयार करता है।'' लिण्डस्मिथ ने अपनी पुस्तक (Organized Crime of The American Academy of Political and Social Science. 1941) में लिखा है कि–''वह अपराध जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ व्यक्तियों या समूहों का सहयोग उसमें सम्मिलित हो, उसे संगठित अपराध कहते हैं।''

गोर्डन हामिक्स ने अपनी पुस्तक (Crime and Justice, Vol. 1971) में लिखा है कि–''विशेष प्रकार के अपराध के सफल क्रियान्वयन के लिए अपराधियों द्वारा छोटे समूहों के संगम को संगठित

समाजशास्त्र विभाग, श्री भगवान महावीर पी0 जी0 कालेज, पावानगर (फाजिलनगर) कुशीनगर (उ0 प्र0)

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

अपराध कहते हैं।''

थर्मटन सेलिन ने अपनी पुस्तक (The Crime Problem 1963) में लिखा है कि–'' अवैध क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक उपलब्धियों के लिए संगठित उद्यम करना ही संगठित अपराध है।''

डोनाल्ड टैफ्ट ने अपनी पुस्तक (Criminology) में लिखा है कि–''अन्य सुसंगठित व्यवसायों की भाँति इन अपराधियों के संगठनों में भी कार्य कुशलता के लिए नेतष्त्व, अनुशासन, आज्ञापालन, निष्ठा, ईमानदारी, कार्यों का वितरण, सह–अस्तित्व आदि की उतनी ही आवश्यकता होती है। ये लोग अपना गिरोह बनाकर सुनियोजित ढ़ंग से अपने अपराध से सम्बन्धित क्रिया–कलापों में लगे रहते हैं, ताकि अधिक से अधिक धन कमा सकें। इस प्रकार ये अपराधिकता को एक व्यवसाय के रुप में अपना लेते हैं।''

राबर्ट जी0 काल्डवेल ने अपनी पुस्तक (Criminology) में लिखा है कि–'' संगठित अपराध में पारस्परिक साहचर्य, सत्ता का केन्द्रीकरण, श्रमविभाजन, सुरक्षित कोष की स्थापना, एकाधिपत्य प्रवष्त्तियाँ, सुरक्षात्मक उपाय, व्यवहार सम्बन्धी नियम तथा आयोजन आदि समाविष्ट होते हैं।''

ई0 एच0 सदरलैण्ड तथा क्रेसी ने अपनी पुस्तक (Principles of Criminology) में लिखा है कि–'' आपराधिक संगठन अपराधियों की अन्तः क्रियाओं में विकसित होता है। यह संगठन मान्यता प्राप्त नेतृत्व,समझ,समति तथा श्रमविभाजन से एक औपचारिक साहचर्य हो सकता है,या यह अभिरुचि और अभिवृत्ति की समरुपता तथा पारस्परिकता के आधार पर अनौपचारिक हो सकता है। एक समूह जो वैध उद्देश्यों के लिए बना है, अपराधी समूह में परिवर्तित हो सकता है अथवा वैयक्तिक अपराधी अवैद्य उद्देश्यों के लिए एक संघ संगठित कर सकते हैं।'' प्रो0 एस0 डी0 सिंह ने अपनी पुस्तक (अपराधशास्त्र सिद्धन्त) में लिखा है कि–'' आपराधिक संगठन दो या दो से अधिक अपराधी व्यक्तियों का वह संस्तरणात्मक संरचना है, जिसमें एक सशक्त नेता के अन्तर्गत प्रगाढ़ वैयक्तिक निष्ठाओं के साथ सहयोग तथा समूह की नैतिकता की संहिताओं का अनुशीलन करते हुए संगठित समाज की शक्तियों के विरुद्ध अवैध विधियों द्वारा अवैध क्रियाओं में सलंग्न होते हैं।''

क्लिनार्ड क्विने ने कहा है कि संगठित अपराध में स्थिति सम्बन्धी सोपानिक संरचना होती है। वर्जेस ने इस सोपानिक संरचना की तुलना सामन्ती व्यवस्था से की है। पिरामिड की चोटी पर लार्ड्स शक्तिशाली नेता होते हैं, जो महत्वपूर्ण फैसले करते हैं और संगठन को चलाते हैं। ये नेता लोग सामन्ती संरचना के अनुसार अन्य व्यक्तियों से नौकर–मालिक जैसे सम्बन्ध बनाये रखते हैं। मध्यस्तर पर वे गैंगेस्टर होते हैं, जो उपनेता का कार्य करते हैं तथा नेताओं की आज्ञा का पालन करते हैं। संरचना के निचले स्तर पर निम्न अपराधी होते हैं, जो संगठित अपराध से सीमान्तक रुप से जुड़े रहते हैं। सोपानिक संरचना व्यक्तिगत निष्ठा, आचार संहिता, आज्ञाओं की श्रंष्खला और पारस्परिक समाज के प्रति विरोधी धारणाओं को एक साथ लेकर जुड़ी रहती है। यह संरचना अपराधियों के जीवन को विशेष रुप से निम्न श्रेणी के अपराधियों के जीवन को प्रभावित करती है। उनके विरुद्ध एक लम्बा अपराधी रिकार्ड होता है और वे अपना अपराधी जीवन समाप्त करने की बात कभी नहीं सोचते हैं। गिरोह के निम्नतम् स्तर के ये सदस्य या तो संगठन से भुगतान प्राप्त करते हैं या लाभ में से हिस्सा प्राप्त करते हैं। मध्य स्तर के सदस्य वे होते हैं, जो निम्न स्तर से उठाये गये होते हैं या कभी–कभी बड़े नगरों से सीधे भर्ती कर लिये जाते हैं। कुछ सहायक कभी–कभी चोटी के नेता भी बन

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

जाते हैं।

संगठित अपराधों से जुड़े हुए नेता अलगाववादी जीवन व्यतीत करते हैं,अलग रहकर सम्मान प्राप्त करते हैं तथा वे अपराध जगत के प्रति कटिबद्ध रहते हैं। जहाँ वृहद् समाज से अलग रहने के कारण उन्हें प्रतिष्ठा,शक्ति और विलासितापूर्ण जीवन के लिए आपराधिक जगत में कार्य करने का अवसर प्रदान कर सकता है। वाल्टर सी0 रैकलेस का विचार है कि संगठित अपराध में जीवन चुनना उस क्षेत्र की सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करता है, जहाँ व्यक्ति रहता है। संगठित अपराधियों का जीवन इतिहास आमतौर पर उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि ये व्यक्तिगत गिरफ्तारी और कारावास के दण्ड से दूर होते हैं। संगठित अपराधों में पुलिस एवं राजनीतिज्ञों का संरक्षण भी देखने को मिलता है। इससे अपराधियों को न केवल अपराध करने में सहयोग प्राप्त होता है, अपितु उन्हें संरक्षण भी मिल जाता है। कुछ राजनीतिक दलों को नेता भी वोट एवं संरक्षण प्राप्त करने के लिए संगठित अपराधी गिरोह का उनके अपराध में साथ देते हैं। जेकब ग्रासवर्ग ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि संगठित अपराध राजनीति का एक अभिन्न अंग है। राजनीतिक दल संगठन के एक साधन हैं और दल का संगठन दस्युता जैसे अर्थपूर्ण अपराध का धंधा है।

संगठित अपराधों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इन संगठनो में कार्य करने वाले अपराधियों में कुछ गुण विशेष पाये जाते हैं, जिनके कारण इनकी गतिविधियाँ अवैध और प्रतिबन्धित होते हुए भी सुचारु रुप से बेरोकटोक के चलती रहती हैं। इन लोगों का आपसी सहयोग एवं तालमेल इतना मजबूत होता है कि सब प्रकार की मुसीबतें झेलकर भी वे एक दूसरे का भंडाफोड़ कभी नहीं करते। अपने संगठित अपराधी कार्यों को सुचारु रुप से कार्यान्वित करने के लिए गिरोह के सदस्यों में कार्य विभाजन होता है और प्रत्येक को एक निश्चित कार्य सौपा जाता है। इन कार्यों के संचालन का काम गिरोह का मुखिया स्वयं करता है, साथ ही वह सदस्यों की समस्याओं की ओर भी ध्यान देता है और उनके निवारण का उपाय सुझाता है। उदाहरण के लिए मद्य निषेध के क्षेत्र में मदिरा का अवैध व्यापार करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य मदिरा की सप्लाई प्राप्त करने का काम करते हैं,कुछ उसे लाने और पहुँचाने का काम करते हैं, कुछ अपने साथियों को संकट से बचाने के लिए नियत किये जाते हैं और कुछ पुलिस विभाग के कर्मचारियों से साँठ–गाँठ कर उन्हें पटाए रखने का काम करते हैं। इस प्रकार ये गिरोह स्वयं को पकड़े जाने से बचाकर अवैध कृत्य में लगे रहते हैं। आपस में एक दूसरे के सहयोग और विश्वास से काम करते हुए ये आपराधिक गिरोह अन्य गिरोहों के साथ भी ताल–मेल बैठाये रहते हैं तथा एक दूसरे के कार्यों एवं गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आज आर्थिक, व्यापारिक और औद्योगिक विकास तथा आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण आपराधिक संगठनों का कार्य क्षेत्र भी अधिक व्यापक होता जा रहा है।

ई0 एच0 सदरलैण्ड तथा क्रेसी ने अपनी पुस्तक (Principles of Criminology) में संगठित अपराध को चार प्रमुख श्रेणियों में रखने का प्रयास किया है–

1. अपराधी कार्यरत समूह अर्थात् दल का निर्माण करते हैं। इस दल के सभी सदस्यों में परस्पर समझौता श्रमविभाजन एवं नेतृत्व का गुण देखने को मिलता है। इनके सदस्यों की संख्या दल के कार्यों की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होती है।
2. कानून भंग करने वाले लोग इकट्ठे होकर एक

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

समूह बना लेते हैं। इस अपराधी समूह के सभी सदस्य एक दूसरे के कार्य में सहयोग करते हैं तथा वे परस्पर सुरक्षा भी प्रदान करते हैं।

3. कुछ अपराधी समूह कुछ क्षेत्रों में जुआघर, वेश्यालय एवं मादक पदार्थों की अवैधानिक बिक्री नियन्त्रित एवं संचालित करते हैं।
4. सभी आपराधिक समूहों में सहयोग की भावना पाई जाती है तथा विधि का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों से इनका सम्बन्ध रहता है।

भारत में संगठित अपराधों का विस्तार अभी सहीं ढ़ग से ज्ञात नहीं है। अभी तक इस क्षेत्र में वैज्ञानिक शोधों का अभाव देखने को मिलता है।फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए संगठित अपराधों में सलंग्न आपराधी समूह के कुछ विशेष लक्षण निम्नरुपों में देखने को मिलते हैं–

1. संगठित आपराधिक समूहों में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं। अधिकतम् सीमा कुछ भी हो सकती है।
2. संगठित आपराधिक समूहों में एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था पाई जाती है अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति की प्रस्थिति एवं भूमिका पहले से ही निर्धारित होती है।
3. संगठित आपराधिक समूहों में अपराध का विशेषीकरण देखने को मिलता है अर्थात् सभी आपराधिक संगठन सभी प्रकार का अपराध नहीं करते हैं।
4. संगठित आपराधिक समूहों द्वारा नियोजित अपराध किये जाते हैं अर्थात् वगैर योजना बनाए अपराध नहीं किया जाता है।
5. संगठित आपराधिक समूहों का नेतष्त्व किसी एक सर्वमान्य व्यक्ति के पास होता है। नेता के प्रति सभी सदस्य वफादार एवं उत्तरदायी होते हैं।
6. संगठित अपराधी समूहों द्वारा आपराधिक प्रबन्ध की गोपनीयता रखी जाती है और उसे किसी भी दशा में भंग नहीं किया जाता है।
7. प्रत्येक संगठित आपराधिक समूहों के अपराध करने का ढ़ग अलग–अलग होता है।
8. प्रत्येक संगठित आपराधिक समूहों को समाज के उच्च प्रतिष्ठित वर्ग का संरक्षण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में प्राप्त होता है।
9. संगठित अपराधिक समूहों का गठजोड़ राजनीति एवं नौकरशाही में देखने को मिलता है।
10. संगठित आपराधिक समूह कानून के गिरफ्त में आसानी से नहीं आ पाते हैं।
11. ए0 एन0 वोहरा समिति (1993) ने संगठित अपराधों के लिए राजनीति के अपराधीकरण को उत्तरदायी माना है।
12. शराब माफिया एवं ड्रग्स–स्मगलर्स के सिंडीकेट्स पूरे देश में संचालित हैं। जिन्होंने पुलिस–प्रशासन एवं राजनीति को प्रभावित किया है।
13. चुनाव के समय संगठित अपराधों की गतिविधियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जो राजनीति के अपराधीकरण का घोतक है।
14. गेंग्स्टेरिज्म, रैकेटियरिंग, तस्करी, हवाला, जुआ, भू–माफिया, मानव तस्करी, आतंकवाद, वेश्यावृत्ति, आगजनी, तोड़–फोड़, साम्प्रदायिक हिंसा, चोरी, डकैती, ठगी, धोखाधड़ी, कूटकरण आदि आपराधिक कृत्य संगठित अपराध के उदाहरण हैं।

रेडजिन वाइज ने अपनी पुस्तक (Crime and Justice) में आपराधिक संगठन के पाँच प्रमुख संहिताओं का उल्लेख किया है–

1. संगठन के प्रति निष्ठावान रहो, क्योंकि इससे गिरोह में एकता रहती है।
2. एक दूसरे के हितों में हस्तक्षेप न करो, क्योंकि इससे समूह में शान्ति रहती है।
3. विवेकशील बनों और गिरोह के सदस्य के रुप

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

में कार्य करो।

4. सभी का आदर करो।
5. अपने आँख,कान सदैव खुले रखो तथा मुँह बन्द रखो। अपने को बेचो मत।

समाज में व्याप्त आपराधिक संगठनों का अध्ययन मुख्य रूप से चार भागों में किया जा सकता है–

I. हिंस्र आपराधिक संगठन (Predatory Crimes) :–

आपराधिक गिरोह द्वारा किये गये ऐसे अपराध जो हिंस्र स्वरूप के होते हैं और जिनमें अपकारित व्यक्ति को हानि या क्षति के अलावा अन्य कुछ भी प्राप्त नहीं होता, सामान्यतः संगठित हिंस्र अपराध कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के अपराधों में केवल अपराध करने वाले को ही अवैध फायदा या सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार के अपराधों में डकैती, जेबकटी, अपहरण आदि जैसे हिंस्र कृत्य शामिल हैं, क्योंकि इनमें अपराध का शिकार हुए व्यक्ति की क्षति होती है और उस अपराध में उसका किसी प्रकार का हित सन्निहित नहीं रहता है। संगठित हिंस्र अपराधों के प्रति समाज की तत्काल प्रतिक्रिया होती है और आपराधिक न्याय प्रशासन से सम्बन्धित संस्थाएँ इनके प्रति विशेष सजग रहती हैं। प्रायः यह देखा गया है कि इन आपराधिक संगठनों की देखा–देखी करते हुए बाल अपराधी भी इन्हीं की तरह दुःसाहस करने को आमादा हो जाते हैं और अन्ततोगत्वा वे अभ्यस्त अपराधी बन जाते हैं। प्रो0 सदरलैण्ड का विचार है कि हिंस्र आपराधिक संगठन के सदस्यों के लिए सामान्य अपराधियों की तुलना में अधिक कौशल और नियोजन की आवश्यकता रहती है। उनका व्यावसायिक कार्य केवल अपराधकारित कर देने तक ही सीमित नहीं रहता, वरन् इसे प्रारम्भ से लेकर अन्त तक तथा बाद में पकड़े जाने से बचने के लिए योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न चरणों में कुशलतापूर्वक करना होता है। संगठित हिंस्र अपराधों में कुछ अपराधी मिलकर संयुक्त रूप से किसी अपराधी कृत्य को करने के लिए गिरोह बना लेते हैं। उदाहरण के लिए डाकुओं के गिरोह द्वारा संयुक्त रुप से बल प्रयोग तथा आतंक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लोगों को भय दिखाकर डाका डाला जाता है। डकैती के लिए कम से कम पाँच व्यक्ति गिरोह में होना आवश्यक होता है। वर्तमान समय में अनेक आपराधिक संगठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें समुद्री डकैती व हवाई डकैती को सम्मिलित किया जाता है।

II. आपराधिक सिंडीकेट (Criminal Syndicates)

आपराधिक सिंडीकेट को आपराधिक व्यवसाय संघ भी कहा जाता है। ऐसे सिंडीकेट से तात्पर्य ऐसे आपराधिक संगठनों से है, जो अपने ग्राहकों को कोई ऐसी निषिद्ध या अवैध वस्तु या सेवा उपलब्ध कराते हैं, जो उसे खुले रुप से वैधानिक तरीकों से प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः आपराधिक सिंडीकेट या व्यवसाय संघ में कार्यरत अपराधी इन प्रतिबन्धित सेवाओं या वस्तुओं का व्यापार करते हैं तथा इन्हें इच्छुक ग्राहकों तक पहुँचाते हैं, जिनके बदले में उन्हें मुँह–माँगे दाम मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए अफीम, गाँजा, चरस, हिरोइन, मदिरा और यहाँ तक कि लड़कियों की सप्लाई आदि का अवैध व्यापार करना इन सिंडीकेटों का मुख्य धन्धा होता है। आपराधिक सिंडीकेट का मूल आधार जनता की उन अवैध माँगों की पूर्ति करना है, जो कानून द्वारा प्रतिबन्धित और निषिद्ध घोषित की जाने के कारण वैध रुप से पूरी नहीं की जा सकती है। आपराधिक सिंडीकेट के सदस्य इन अवैध सेवाओं से अत्यधिक लाभ

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

कमाते हैं। उन्हें इन अवैध सेवाओं पर एकाधिकार हासिल करने के लिए धमकी, हिंसा और यहाँ तक कि हत्या आदि जैसे जघन्य आपराधिक तरीके अपनाने पड़ते हैं। चूँकि स्वयं जनता के कुछ लोग इन अवैध सेवाओं की प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, इसलिए सिंडीकेट के सदस्यों को इन लोगों का मौन संरक्षण प्राप्त होता है और वे अवनी अपराधी गतिविधियाँ बे–रोक–टोक जारी रखते हैं।

III. आपराधिक रेकेट्स (Criminal Rackets)

अपराधी रेकेट से तात्पर्य किसी वैध व्यापार या व्यवसाय से सम्बन्धित संगठित आपराधिक गिरोह से है, जो वैयक्तिक क्षति या सम्पत्ति को हानि की धमकी देकर व्यवस्थित रुप से उद्दापन करते रहते हैं। आपराधिक रेकेट को परिभाषित करते हुए डोनाल्ट टेफ्ट ने कहा कि यह एक ऐसा संगठित अपराध है, जिसमें कार्यरत अपराधीगण समाज के उन सामान्य व्यक्तियों के लिए कोई सेवा करते हैं, जो किसी वैध व्यवसाय या कार्य से जुड़े हुए हैं। अतः हिंस्र आपराधिक संगठन तथा रिकेटियरिंग में मुख्य अन्तर यह है कि पहले में किसी प्रकार की सेवा का तत्व विद्यमान नहीं है और वह पूर्णतः शोषणकारी होता है। जबकि दूसरे में वैध गतिविधि में कार्यरत व्यक्तियों को कोई सेवा उपलब्ध कराने का तरीका अवैध होता है। इसी प्रकार आपराधिक सिंडीकेट और आपराधिकरेकेट में भी अन्तर है। सिंडीकेट में सेवा पूर्णतः अवैध एवं निषिद्ध होती है। जबकि रेकेट द्वारा शोषण किया जाता है, वे स्वयं रेकेट की सेवा से सन्तुष्ट रहते हैं। यद्यपि वे जानते हैं कि उनका शोषण हो रहा है। वर्तमान प्रतिस्पर्द्धात्मक अर्थ–व्यवस्था में अपनी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाने के लिए वैयक्तिक व्यापार संगठन तथा श्रमिक संघ, दोनों ही आपराधिक रेकेट्स का सहारा लेते हैं। इस दौरान कभी–कभी एक वर्ग दूसरे पर अनुचित दबाव डालने या बल प्रयोग करने की कोशिश करता है, जिसके कारण यदा–कदा हिंसा की घटनाएँ भी हो जाती हैं।

IV. राजनीतिक उत्कोच (Political Graft)

यह आम धारणा है कि वैधानिक व्यापार में कार्यरत समाज के प्रतिष्ठित उच्चवर्गीय लोगों तथा व्यावसायिक अपराधियों में राजनीतिक उत्कोच के माध्यम से अन्तर्सम्बन्ध रहता है। विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पार्टी को विजयी बनाने के लिए राजनीतिक लोग प्रायः कुख्यात अपराधियों की सहारा लेते हैं, जो अवैध तरीके अपनाकर उस राजनीतिक दल के लिए काम करते हैं और इसके बदले धन तथा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते हैं। अवसर आने पर राजनीतिक उत्कोच में शामिल ये अपराधी मारपीट, बल प्रयोग, अपहरण, धमकी, घूसखोरी आदि अवैध कष्त्य करने में भी संकोच नहीं करते हैं। भारत के न्यायालयों में चुनाव से सम्बन्धित दायर होने वाली चुनाव याचिकाओं से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों के नेता आपराधिक उत्कोच के माध्यम से चुनाव जीतने के लिए अवैध हथकंडे अपनाते हैं, जो उनकी गरिमा के लिए शोभनीय नहीं होता है।

आपराधिक गिरोहों तथा राजनीतिज्ञों व नौकरशाही के बीच साँठ–गाँठ सम्बन्धी रिपोर्ट 03 अगस्त 1995 को एन0 एन0 वोहरा समिति द्वारा संसद के पटल पर विचारार्थ प्रस्तुत की गयी। जिसमें यह कहा गया है कि आपराधिक गिरोहों को प्रायः स्थानीय राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। जिसके परिणामस्वरुप नेतागण अपने अपराध कृत्यों को छिपाने या रफा–दफा करा लेने में कामयाब हो जाते हैं। अतः आज भारत में राजनीति का अपराधीकरण अपनी चरम सीमा पर है। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख भी है कि जनवरी 1993 को हुई मुंबई विस्फोट काण्ड का मुख्य

अभियुक्त इकबाल मिर्ची एक सामान्य अपराधी से बड़े गिरोह का सरगना कैसे बन बैठा।

बोहरा समिति ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की निवारक शक्तियों में वृद्धि की सिफारिस की है। ताकि अपराधियों से साँठ–गाँठ रखने वाले राजनेताओं के टेलीफोन टेप किये जा सकें तथा उन पर उचित निगरानी रखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बन्दी बनाया जा सके। इस रिपोर्ट के परिणामस्वरुप भारत सरकार ने राजनीति में अपराधीकरण रोकने हेतु अगस्त 1995 में गृह सचिव पद्मन भैया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा हवाला काण्ड में लिप्त देश के लगभग पच्चीस शीर्षस्थ राजनेताओं के विरूद्ध अवैध रुप से लाखों रुपये लेने के आरोप में न्यायालयीन कार्यवाही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राजनीति में अपराधीकरण इस सीमा तक व्याप्त है कि लोगों का विश्वास राजनीतिज्ञों से उठने लगा है।

संगठित अपराधों में दिनोंदिन हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन्हें नियन्त्रित रखने हेतु कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन किया जाना आवश्यक है। अपराध निवारण में पुलिस की भूमिका अहम रहती है। अतः जब तक पुलिस का मनोबल ऊँचा नहीं उठाया जाता, आपराधिक गिरोहों की समाप्ति कठिन है। जनता की ओर से अपराधियों को पकड़वाने में वांछित सहयोग के अभाव में अपराध सिद्ध नहीं हो पाते और अपराधीगण निर्दोष छूट जाते हैं। अतः जबतक जनता इस कार्य में कर्त्तव्य भावना से सक्रिय योगदान नहीं करती, तबतक इन अपराधों पर रोक लगाना कठिन है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Philip Jinkins and Garg Palter : The Politics and Mythalogy of Organized Crime Journal of Criminal Justice. 1987
2. Robert Rhodes :Organized Crime Control Vs Civil Liberties, Newyork Random House. 1984
3. डॉ0 आहूजा, राम : भारतीय सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2000।
4. डॉ0 महाजन, धर्मवीर: अपराधशास्त्र, विवके प्रकाशन दिल्ली 2006।
5. प्रो0 सिंह, श्यामधर : अपराधशास्त्र के सिद्धन्त, सपना अशोक प्रकाशन, वाराणसी 2008।
6. डॉ0 राय, एस0 चन्द्रकुमार : विवेचनात्मक अपराधशास्त्र अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 2009।
7. डॉ0 चौहान, एम0 एस0 : अपराधशास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन, सेण्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद 1998।
8. डॉ0 परांजये, ना0 वि0 : अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र, सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद 2004।
9. डॉ0 चन्द्रा, व्रजेश : अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र तथा डत्पीड़नशास्त्र, आर0 एल0 साइंटफिक पब्लिकेशन्स, आगरा 2004।
10. पाण्डेय, तेजस्कर : भारत में सामाजिक समस्याएँ एम0 सी0 ग्रो हिल इण्डिया, नई दिल्ली 2016।
11. शर्मा, जी0 एल0 : सामाजिक मुद्दे रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2015।
12. प्रो0 सिंह श्यामधर : अपराधशास्त्र के सिद्धन्त सपना अशोक प्रकाशन, वाराणसी 2008।
13. डॉ0 वघेल डी0 एस0: अपराधशास्त्र विवेक प्रकाशन, दिल्ली 2013।
14. डॉ0 राय एस0 चन्द्रकुमार : विवेचनात्मक अपराधशास्त्र अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस,नई

दिल्ली 2009 ।

15. डॉ0 चौहान एम0 एस0 : अपराधशास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 1998 ।
16. डॉ0 परांजये ना0 वि0 : अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2004 ।
17. डॉ0 चन्द्रा ब्रजेश : अपराधशास्त्र दण्डशास्त्र तथा उत्पीड़नशास्त्र एस0 आर0 साइंटफिक पब्लिकेशन्स, आगरा 2004 ।
18. डॉ0 महाजन धर्मवीर : अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2006 ।